

61
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)

संख्या-15/2 A

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
/ गू०अ० / द०-1065(नई योजना) / बहराईच / दिनांक 14-7-23

नोटिस

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965(उ० प्र० अधिनियम संख्या-1,1966)
की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस :-

बहराईच शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद ने जनपद बहराईच में बहराईच-गिन्गा मार्ग पर " भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराईच" बनायी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमायें निम्नवत हैं :-

उत्तर-खसरा सं०- 553, 552, 551, 550, 549 गाग, 543 गाग, 541 गाग, 540, 539, 529
गाग, 432, 433, 489, 488, 495, 496, 498, 475, 473, 472, 471, 470, 469, 468,
467, 464 ग्राम कल्पीपारा, परगना व तहसील व जिला बहराईच।

पूरब- खसरा सं०-463, 585 रास्ता ग्राम कल्पीपारा, परगना व तहसील व जिला बहराईच।

दक्षिण-खसरा सं०-584 574, 575 गाग 573 गाग, 570, 532, 531, 530, 535, 536, 535, 569,
562, 561, 560 ग्राम कल्पीपारा, परगना व तहसील व जिला बहराईच।

पश्चिम-बहराईच से गिन्गा राज मार्ग ग्राम कल्पीपारा, परगना व तहसील व जिला बहराईच।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये आपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा, तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबन्ध में भूमि के स्वामी व उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के प्रविधान के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स तृतीय तल इन्दिरा नगर लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस को 11:00 बजे पूर्वान्ह से 3:00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ० प्र० सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से संबन्धित आपत्तियाँ कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ तथा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स तृतीय तल इन्दिरा नगर लखनऊ में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का नाम, आपत्ति कर्ता का नाम, आपत्ति कर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही-सही अंकित होने चाहिये।

Notice

Notice under section 28 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965 (U.P Act No-1 of 1966)

In view to solve the acute housing problem of Baharaich, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called Baharaich Bhinga Marg "Bhoomi vikas evam grahsthan yojna Baharaich." The boundries of the scheme comprised area as follows.

C. S. Singh

6/9

North- khasara No. 553, 552, 551, 550, 549 part, 543 part, 541 part, 540, 539, 529 part, 432, 433, 489, 488, 495, 496, 498, 475, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 464 village Kalpipara pargana, tehsil & Distric Baharaich.

East- Khasara no. 463,585 Rasta villaga Kalpipara Pargana Tehsil & District Baharaich.

South- Khasara No. 584, 574, 575 part, 573 part, 570, 532, 531, 530, 535, 536,535, 569, 562, 561, 560 village kalpipara pargana, tehsil & Distric Baharaich.

West- Baharaich. to Bhinga State Marg village kalpipara pargana, tehsil & Distric Baharaich.

It is declared that when by the execution of the Housing and Development scheme aforesaid, any land in the area comprised in the scheme which may not be required for the execution there of, will in the opinion of the board be increased in value, "betterment fee" in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam 1965 shall be payable by the owner of the land and by every person having an intrest there in repect of the increase in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of the area, particulars of the scheme and details of the land proposed to be acquired, may be seen at the office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section) Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad 104, Mhatma Gandhi Marg, Lucknow, or in the Office of the Executive Engineer Nirman khand-2 Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad office complex third floor Indira Nager Lucknow on any working day between 11.00 A.M to 3.00 P.M

Objections to the scheme shall be recieved at the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section) Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad 104, Mhatma Gandhi Marg, Lucknow, or in the Office of the Executive Engineer Nirman khand-2 Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad office complex third floor Indira Nager Lucknow within 30 days from the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette, correct name of the scheme and full particulare of the land\building\name of the village\khasara plot no.\area of the land and other details of the objector etc. within the scheme, should be clearly mentioned in every objection.

Owners\occupiers of structures in the scheme area shall be liable to pay "Betterment fee, Development charges" to the Housing Board in accordance with the provisions of the Housing Board act.


(Vidya Nand Garg)
Housing Commissioner

गद संख्या:-.....

भूमि अर्जन अनुभाग

भू० अ०।दो-1065 (नई योजना)

परिषद के लिए व्याख्यात्मक रिपणनी

विषय: बहराईच-भिन्गा मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराईच की धारा-28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

1-योजना का नाम

बहराईच-भिन्गा मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराईच

2-योजना का क्षेत्रफल

- 60.62 एकड़

3-योजना की अनुमानित लागत

- 34.86 करोड़

बहराईच शहर में परिषद द्वारा वर्ष 1981 में एक योजना बहराईच खास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराईच बनाई गयी थी जो अवैध निर्माणों के हो जाने के फलस्वरूप परिषद द्वारा परित्याग कर दी गयी जिसके कम में पुनः चयन समिति द्वारा दि० 13.12.2002 को बहराईच शहर में अपने किये गये स्थल निरीक्षण के दौरान बहराईच-भिन्गा मार्ग पर राजकीय पालीटेक्निक से आगे एवं को-आपरेटिव बैंक के मध्य ग्राम-कल्पीपारा की भूमि पर योजना को चलाया जाना उपयुक्त पाया गया। बहराईच नगर की जन संख्या की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ 20 भवन/भूखण्ड प्रति एकड़ मानक से लगभग 1200 भवन/भूखण्डों का समावेश परिषद योजना में किया जा सकता है। प्रस्तावित योजना स्थल बहराईच रेलवे स्टेशन से 3.00 कि०मी० की दूरी पर स्थित है तथा बहराईच नानपारा वाईपास मार्ग से काफी निकट है।

जलापूर्ति की व्यवस्था

प्रस्तावित योजना में जलापूर्ति की व्यवस्था उच्च जलाशय के माध्यम से ट्यूब वेल लगाकर करनी होगी।

जलोत्सारण की व्यवस्था

प्रस्तावित योजना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर सगरा तालाब स्थित है जिसमें बरसाती पानी की निकासी की जा सकती है तथा सीवर प्रणाली बहराईच में नहीं है, इस लिये समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना क्षेत्र में सेप्टिक टैंक व सोपिट बनाना होगा।

विद्युतिकरण की व्यवस्था

प्रस्तावित योजना में विद्युत आपूर्ति विद्युत सब स्टेशन बनाकर करनी होगी जिसके लिये योजना के प्राक्कलन में रू० 20.00 लाख का प्राविधान कर लिया गया है।

Q

पानी के निकास की व्यवस्था

प्रस्तावित योजना क्षेत्र के पानी का निस्तारण योजना के पूरव में 1/2 कि०मी० की दूरी पर सगरा तालाब स्थित है। इस तालाब तक नाला बनवाकर पानी का निस्तारण करना होगा। योजना क्षेत्र की भूमि काफी ऊँची है जिससे जल भराव की कोई सम्भावना नहीं है।

सड़कों, पार्कों एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था

योजना के नियोजित विकास हेतु आवश्यक चौड़ी सड़कों का निर्माण तथा निर्धारित नामर्स के अनुसार पार्कों एवं खुले स्थानों को विकसित किया जायेगा। स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराने हेतु सड़कों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जायेगा।

सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था

योजना क्षेत्र में निर्धारित नामर्स के अनुसार सामुदायिक केन्द्रों, स्कूल, अस्पताल व अन्य आवश्यक जन-सुविधाओं के लिये भूमि आरक्षित की जायेगी जिन्हें सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार आवंटित कर दी जायेगी।

प्रस्तावित स्थल की भूमि का मास्टर प्लान में गू-उपयोग

प्रस्तावित योजना की भूमि, मास्टर प्लान में, कृषि योग्य भूमि है, जिसे आवासीय भूमि में परिवर्तित कराने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक से अनुरोध करना होगा।


योजना के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल एवं विकसित भूमि का मूल्य

प्रस्तावित योजना का कुल क्षेत्रफल 60.62 एकड़ अर्थात् 245283.07 वर्गमी० है जिसमें से 147169.83 वर्गमी० भूमि विकसित की जा सकेगी। विकसित भूमि का विकसित मूल्य रु०... 2369.00 प्रति वर्गमी० आंका गया है। विकसित भूमि का वास्तविक विकसित मूल्य, भूमि अर्जन एवं विकास कार्यों के वास्तविक लागत पर आधारित होगा।

अतः प्रस्तावित योजना का उक्त प्रस्ताव, परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित कराने एवं अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


(सुधीर कुमार)

संयुक्त आवास आयुक्त(भूमि)


(श्रीपाल वर्मा)

अपर आवास आयुक्त

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म०) के पत्रांक-1338/समन्वय कोठ/दि० 21-6-2003 द्वारा पृ-इ-नगर योजना के संबंध में प्राप्त परिषद निर्णय

मद संख्या

परिषद की बैठक संख्या/दिनांक

परिषद निर्णय

187/3-50

परिषद की 187वीं बैठक दिनांक

अनुमोदित।

9-6-2003

क्रम सं०

व्यक्त कायदा का विवरण

विवरण

1	स्वल्प चरण सामिति द्वारा स्वल्प निर्दिक्षण निधि	13-12-2002
2	दारा-28 को अन्तर्गत क्षेत्रपाल	60.62 एकड़ या 24.545 हेक्टेयर
3	दारा-28 के प्रमाण हेतु या पीपल वी.स्वीछरि	आन्वेषण का 18 जूनी 2003
4	दारा-28 का प्रमाण नालीय गजट में	दिनांक 9-6-2003 द्वारा स्वीकृत प्रमाण कीया
5	" " " " दिन्दीमाचा पत्र "माज" में	16-8-03, 23-8-03, 30-8-03
6	" " " " कोटेली साचाट पत्र "इण्डियन एक्सप्रेस"	17-8-03, 23-8-03, 30-8-03
7	कापल सुनवाई की निधि / स्वल्प	17-8-03, 23-8-03, 30-8-03
8	निर्माण सामिति की संस्तुतियां में अर्जन मुक्त क्षेत्रपाल	18-3-2006 आसीएस नोट्स एस्टब्लिश्मेंट एक्ट कालेनी कालीमाच एस्टाब्लिश
9	अन्त संस्तुतियां को अनुमोदन की निधि	0-352 हेक्टेयर
10	दारा-31(1) के अन्तर्गत पीपल स्वच्छनि क्षेत्रपाल	आन्वेषण की 193 की रकम दिनांक 29-5-06 द्वारा अद सं०-62 पर अनुमोदन कीया
11	जिला / राष्ट्रीय ग्रामि उपयोग समिति के अनुमोदन की निधि	आ. पीपल की 194 की रकम दि० 29-7-06 द्वारा अद सं०-42 पर दारा-31(1) की स्वच्छनि प्रयोजनीयता क्षेत्रपाल 24.193 हेक्टेयर 25-8-07 / 12-11-07
12	दारा-32(1) के प्रमाण की निधि	आसना देभासो-17/का०-2-2008 3 मई 2007 दिनांक 4-2-08
13		19-4-08 को राजकीय गजट के भाग सं-8 में प्रक सं०-155-161 प्रकाशित हुई
14		आसना देभासो का 0-35002/आ०-2-2008-अन्वेषण की 2007 दिनांक-15.1.2010
15		आसना देभासो सं०-113 (ख) आ०-2-2009 दिनांक-15.1.2010

उत्त कायवाह का विवरण

7 बियर

3

13-12-2002

60.62 एलिस या 24.545 हेक्टर

आरपीएस वी 78 7वीं बंके व
दिनांक 9-6-2003 द्वारा स्वीकार प्राप्त
कीगामी

16-8-03, 23-8-03, 30-8-03

17-8-03, 23-8-03, 30-8-03

17-8-03, 23-8-03, 30-8-03

18-3-2006 आमीसम निरुदाहल
सारधुवाएट कालेनी केलीपमा लहराडन

0-352 हेक्टर

आरपीएस वी 193 की कटका दिनांक

29-5-06 द्वारा गद सं 0-62 पट

अनुमोदित कीगामी

आरपीएस वी 194 की कटेन दि 0

29-7-06 द्वारा गद सं 0-42 पट

पट 31 (1) की केलीकानि पधका कीगामी

कीगामी 24.193 हेक्टर

25-8-07 / 12-11-07

आफना देभास 10-17/का 6-2-2008

3 H 2007 दिनांक 4-2-08

19-4-08 को राजकीय गजट के

भाग सं-8 गे प्रक सं 0-155-161

प्रकाशित हुई

शासना देवा सं 0-35000/आ 0-2-2009

अनुमोदित दिनांक 15.1.2010

शासना देवा सं 0-113 (अ) आ 0-2-

2009 दिनांक 15.1.2010

1. स्कूल चामन समिति द्वारा स्थल निर्दिक्षण तिथि

द्वारा 28 को अन्तर्गत कीगामी

द्वारा 28 को प्रकाशन हेतु आ. पीएस वी स्वीकृति

4. द्वारा 28 का प्रकाशन राजकीय गजट में

" " " " दिदी समाचार पत्र "आज" में

" " " " कठेजी समाचार पत्र "इजिना समाचार पत्र"

5. आपत्ति सुनवाई की तिथि / स्थल

6. नियोजन समिति की संतुतिगो 30 अर्जिन सुक्त कीगामी

7. उत्त संतुतिगो को अनुमोदक की तिथि

8. धारा 31(1) के अन्तर्गत पीएस वी केलीकानि कीगामी

9. जिला/राजकीय ग्रामि उपयोग समिति के अनुमोदन की तिथि

10. धारा 31(2) के अन्तर्गत आफन की केलीकानि

11. धारा 32(1) को प्रकाशन की तिथि

12. धारा - 7

13. धारा - 17

श्रिया: पत्र

- 1- योजना का नाम : जनपद-बहराइच भिनगा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराइच।
- 2- ग्राम का नाम : कल्पीपारा, परगना, तहसील व जिला बहराइच।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की जनपद बहराइच में बहराइच भिनगा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच की अर्जित की जा रही भूमि का आवास अधिनियम की धारा-28 एवं 32 का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 16.08.2003 व 19.04.2008 को हुआ। जिसकी धारा-7/17 दिनांक 15.01.2010 को प्रकाशित हुआ। अर्जित की जा रही भूमि का अभिनिर्णय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार दिनांक 09.09.2015 को अभिनिर्णय घोषित किया गया। अभिनिर्णय दिनांक 09.09.2015 के अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 11.01.2016 को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण इकाई-गोण्डा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोण्डा को हस्तान्तरित किया जाता है। जिसका विवरण निम्न है :-

ग्राम-कल्पीपारा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे)	अन्य विवरण
	490	0.113	
	491	0.206	
	492	0.024	
	493	0.024	
	501	0.644	
	502	0.643	
	503	0.179	
	504	0.086	
	505	0.086	
	506	0.130	
	507	0.129	
	508	0.087	
	509	0.558	
	510	0.549	
	511	0.102	
	512	0.059	
	514	0.634	
	515	0.409	
	516	0.727	



517	0.662
518	0.046
519	0.788
520	0.398
522	0.129
523	0.088
524	0.029
525	1.934
527	0.091
528	1.722
537	0.458
538	1.036
541	0.006
543	0.230
544	0.076
545	0.333
546	0.333
547	0.251
548	0.302
554	0.705
555	0.023
556	0.021
557	0.006
558	0.859
559	0.139
563	0.527
565	0.523
566ka	0.006
567	0.027
568	0.037
576	1.775
577	0.075

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

578	3.005
580	0.310
581	0.404
	22.743 हे०

रोग

नोट :-

- 1- उपरोक्त भूमि के काश्तकार को बाग-बहार एवं फसल को पकने पर उगा लेने की अनुमति दी जाती है।
- 2- उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निकाय) को आज दिनांक 11.01.2016 को हस्तान्तरित किया जाता है। घोषित अभिनिर्णय दिनांक 09.09.2015 में मौजूद परिसम्पत्तियों का कब्जा दिया जा रहा है ताकि उपरोक्त कब्जा पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बरों में से कोई वर्तमान में (कब्जा देने की तिथि) गा० न्यायालय में स्थगन आदेश से प्रभावित है, तो उस भूमि का कब्जा दिया गया मान्य नहीं होगा।
- 3- नहर सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- 4- उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रें, मन्दिर व अन्य किसी धार्मिक स्थल तथा सीलिंग आदि की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।
- 5- उक्त आराजी में किसी न्यायालय अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त किये जाने पर कब्जा हस्तान्तरण शून्य माना जायेगा।



(कौशल किशोर श्रीवास्तव),


अमीन,

कार्या० अपर जिलाधिकारी (भू०अ०),

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

उपरोक्त परिसम्पत्तियों एवं खुली भूमि का कब्जा आज दिनांक 11.01.2016 को प्राप्त किया।


(राजेन्द्र कुमार शर्मा)

सहायक अभियन्ता,

निर्माण इकाई-गोण्डा

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

गोण्डा।



(अरविन्द कुमार)

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण इकाई-गोण्डा

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

गोण्डा।

प्रतिहरताक्षरित



(आर० पू० सिंह)

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०),

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।



पत्र सं०- 1584

/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/

/दिनांक 17-02-2020

नोटिस

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-38 के अन्तर्गत नोटिस।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा बहराइच भिन्गा मार्ग योजना, बहराइच संचालित की गयी है। योजना का परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अधीन नोटिस का प्रथम प्रकाशन उ०प्र० राजकीय गजट में दिनांक 16.08.2003 तथा स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 16.08.2003 को किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा-28/29 की कार्यवाही के उपरान्त परिषद द्वारा इस योजना में समाविष्ट भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिया जा चुका है तथा परिषद अधिनियम की धारा-31(2) की स्वीकृति शासन से दिनांक 04.02.2008 को प्राप्त हो जाने के उपरान्त परिषद अधिनियम की धारा-32 के अधीन विज्ञप्ति दिनांक 19.04.2008 को उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशित हुई है। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-38(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत नोटिस सूचना हेतु भेजी जा रही है कि परिषद की उपरोक्त योजना में समाविष्ट संलग्न सूची के अनुसार अंकित ग्रामों की ग्राम-समाज की भूमि को परिषद की उपरोक्त योजना के प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अतः उक्त समस्त भूमि क्षेत्रफल 0.902 हे० (विवरण संलग्न), में समाविष्ट भूमि एतद्वारा परिषद अपने कब्जे में लेती है और उक्त भूमि अब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत परिषद में निहित समझी जायेगी।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-38(2) के प्राविधानों के अनुसार ऐसी भूमि सड़क अथवा भाग जैसी भी स्थित हो परिषद द्वारा तब तक के लिए रखा जायेगा जब तक कि धारा-41 के अधीन सड़क या खुले स्थान या उसके भाग के रूप में स्थानीय प्राधिकारी को पुनर्निहित न कर दिया जाये, तो सिवाय उक्त भूमि पर स्थित भवनों के संबंध में यदि कोई हो, कोई प्रतिकर परिषद द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को देय नहीं होगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

अधिकांसी अधिकारी,
नगर पालिका,
बहराइच (उ०प्र०)

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त
dc Os

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. जिलाधिकारी, बहराइच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. अधिकांसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि, कृपया संलग्न सूची में अंकित खसरा नम्बरों की भूमि का अमलदरामद परिषद पक्ष में कराकर अवगत कराये, (भूमि का विवरण संलग्न)।

संलग्नक: भूमि का विवरण।

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त
dc Os

**बहराइच-भिन्ना मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराइच में राज्य सरकार/ग्राम
समाज की भूमि का विवरण:-**

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा सं०	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	धरा-32 के अन्तर्गत क्षेत्र(हे० में)	धारा-38 के अन्तर्गत योजना में सम्मिलित किए जाने वाले रकबा का क्षेत्र(हे० में)	जमीन का प्रकार
1	कल्पीपारा परगना व तहसील-बहराइच जिला-बहराइच	494	0.037	0.037	0.037	मुख्य मार्ग
2	तदैव	499	0.072	0.072	0.072	चक मार्ग
3	तदैव	500	0.069	0.069	0.069	मुख्य मार्ग
4	तदैव	513	0.105	0.105	0.105	चक मार्ग
5	तदैव	521	0.101	0.101	0.101	चक मार्ग
6	तदैव	526	0.056	0.056	0.056	चक मार्ग
7	तदैव	529	0.122	0.065	0.065	भाग-रास्ता
8	तदैव	541	0.109	0.090	0.084	भाग-नाली
9	तदैव	549	0.068	0.060	0.060	भाग/चक मार्ग
10	तदैव	564	0.010	0.010	0.010	नाली
11	तदैव	566ख	0.006	0.006	0.006	नाली
12	तदैव	573	0.304	0.072	0.072	भाग/रास्ता
13	तदैव	575	0.089	0.080	0.080	भाग/रास्ता
14	तदैव	582	0.085	0.085	0.085	चक मार्ग
15	तदैव	583	0.300	0.00	0.00	कब्रिस्तान
योग-			1.533	0.908	0.902	


कनिष्ठ सहायक


प्रशासनिक अधिकारी

बहराइच -भिनगा मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना-बहराइच
में
राज्य सरकार/ग्राम समाज की भूमि का विवरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा सं०	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	आर्जित किये जाने वाला क्षेत्र हेक्टेयर	जमीन का प्रकार
1	कल्पीपारा परगना-तहसील बहराइच जिला-बहराइच	249 434	0.037	0.037	मु० मार्ग
2		499	0.072	0.072	च०मार्ग
3		500	0.069	0.069	च०मार्ग
4		513	0.105	0.105	च०मार्ग
5		521	0.101	0.101	च०मार्ग
6		526	0.056	0.056	च०मार्ग
7		529	0.122	0.065	भाग-रास्ता
8		549	0.068	0.060	भाग/च० मार्ग
9		564	0.010	0.010	नाली
10		566 ख	0.006	0.006	नाली
11		573	0.304	0.072	भाग/रास्ता
12		575	0.089	0.080	भाग/नाली
13		579	0.310	0.310	कृषि ग्राम उद्योग
14		582	0.085	0.085	चकमार्ग
15		583	0.300	0.000	कब्रिस्तान
	योग		1.734 हे०	1.428 हे०	

Bahy
 अवर अभियन्ता

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 सहायक अभियन्ता
 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
 वि०सं० 2- उप बस-मोठवा

[Signature]
 अधिशासी अभियन्ता
 Executive Engineer
 U.P. Avas Evam Vikas Parishad
 Con. Office Complex
 India

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

पत्राक
सेवा में,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत्त
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards



1 W-42 /

दिनांक

मुख्य अभियंता (म०),
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ।

विषय:- भिन्ना मार्ग भूमि विकास गृहस्थान योजना बहराईच का अभिनिर्णय घोषित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि अधिशासी अभियंता, निर्माण इकाई-गोण्डा के यथेष्ट प्रयास के फलस्वरूप विषयोंकित योजना का एवार्ड दिनांक 9.9.2015 को घोषित किया गया है जिसकी छाया प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर०एल०यादव)
अधीक्षण अभियंता
दिनांक 9/9/15

प०संख्या 2089

1 W-42/23 /

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म०) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को विषयोंकित योजना के एवार्ड की छाया प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियंता, भूमि अर्जन, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को विषयोंकित योजना के एवार्ड की छाया प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण इकाई-गोण्डा, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

09/9
अधीक्षण अभियंता

श्री. वि. वि. वि.
अधीक्षण अभियंता (अ०)
14/9/15

अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 1/2014

1-	वाद संख्या	:	1/2014
2-	ग्राम,परगना, तहसील व जिला	:	ग्राम-कल्पीपारा परगना- बहराइच, तहसील व जिला-बहराइच।
3-	अर्जित क्षेत्रफल	:	22-981हेक्टेयर
	(क) आच्छादित क्षेत्रफल	:	0.10525 हेक्टेयर
	(ख) शुद्ध क्षेत्रफल	:	22.87575हेक्टेयर
4-	क्या जर्गीदारी विनाश अधिनियम लागू है।	:	हाँ।
5	अर्जन निकाय का नाम	:	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6-	भूमि अध्यापित का प्रयोजन	:	भिन्गा मार्ग, भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, जनपद-बहराइच।
7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	16.08.2003
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन का दिनांक	:	29.04.2008
9	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17: के प्रकाशन का दिनांक	:	15.01.2010
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	
	(क) अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	22.87575 हेक्टेयर
	(ख) भूमि का प्रतिकर	:	6,86,27,250.00
	(ग) परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	:	8,13,647.00
	(घ) सोलेशियम 100 प्रतिशत	:	6,94,40,897.00
	(योग--ख+ग+घ)	:	13,88,81,794.00
	(ङ) 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	:	नियमानुसार देय होगा।
	दिनांक 16.08.03से अभिनिर्णय तक		
13-	10 प्रतिशत अध्यापित व्यय	:	नियमानुसार देय होगा।
14	पूँजीकृत मूल्य	:	25435.00



अग्निनिर्णय का औचित्य

उपरो आवास एवं विकास परिषद की बहराइच भिन्ना मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के अन्तर्गत ग्राम कल्पीपारा की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव 24-193 हेक्टेयर का प्राप्त हुआ है। जिराका आवास अधिनियम की धारा-28 व 32 तथा धारा-7/17 के अन्तर्गत विज्ञापितियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 16.08.2003 व दिनांक 29.02.2008 दिनांक 15.01.2010 को हुआ। उक्त प्रस्तावित भूमि में 22.981 हेक्टेयर कृषक, व 1.212 हेक्टेयर अकृषक (सरकारी) भूमि है। कृषक भूमि से प्रभावित भू-स्वामियों को भूमि अर्जन अधिनियम-1894 की धारा- 9(1) (3) की आग व खारा नोटिसों निर्गत की गयी। योजना में स्थित फलदार वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल 0.10525 हेक्टेयर परिषदादेश संख्या 11091 291/10(भू03A0)--855--अ--72 दिनांक 04.10.1973 में दिये गये प्राविधानों के आधार पर क्षेत्रफल की कटौती करने के उपरान्त 22.87575 हेक्टेयर भूमि का प्रतिकर निर्धारित किया गया है। अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के खातेवार विवरण निम्नवत है :

ग्राम-कल्पीपारा

खाता सं०-18 :- भूमि खसरा सं० 504 रकबा 0.086 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखो में असलग खों पुत्र सुबराती खों निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अग्निनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-20 :- भूमि खसरा सं० 547 रकबा 0.251 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखो में अंकित डालकिया पुत्र प्रमोद डालकिया निवासी मन्सूरगंज, शहर बहराइच के नाम 1412 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार परगनाधिकारी बहराइच के वाद सं०-38/06.01.05 के द्वारा खाता सं० 163 की गाटा सं० 558/0.919 में से 0.433 1/6 हे० व खात संख्या 210 की गाटा सं० 547/0.332 में से 0.251 को जरिये धारा 143 अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किया जाने के आदेश दर्ज है। भू स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अग्निनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-22 :- भूमि खसरा सं० 555 रकबा 0.023 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखो में इन्द्रावती पत्नी सुन्दर सिंह, निवासी--त्रिकौलिया, परगना हिसामपुर के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अग्निनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-24 :- भूमि खसरा सं० 565 रकबा 0.523 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखो में कुंवर जी पुत्र जयन्नाथ, निवासी ग्राम कानूनगोपुरा शहर बहराइच के

an

नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-25 :- भूमि खसरा सं० 511 रकबा 0.102 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखो में कुमारी कलावती पत्नी झोलू निवसी डेखा हरवंशपुर के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-26 :- भूमि खसरा सं० 492 रकबा 0.024 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखो में केशवराम पुत्र राम समोखन निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-27 :- भूमि खसरा सं० 559 रकबा 0.173 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखो में कृष्ण कुमार पुत्र सत्य नारायण, श्रीमती सरोज साहू पुत्री मुरारी लाल, श्याम सुन्दर पुत्र गया प्रसाद, उदयप्रकाश पुत्र मूलचन्द्र, रामफेरे पुत्र बाबूलाल, राम गोपाल अग्रवाल एडवोकेट पुत्र डोगामल, श्रीमती पदमादेवी पुत्री छेदीलाल, श्रीमती गिरजादेवी पुत्री रघुवीर बैजनाथ पुत्र रघुवीर साहू निवासी मन्सूरगंज बहराइच के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार बहराइच मु० नं० 777/07.07.06 के द्वारा गाटा संख्या 559/0.203, 560/0.462, 561/0.114, 562/0.905 कुल 4 किता 1.684 हे० लगान परता खाता के सम्पूर्ण अंश से रामफेरे पुत्र बाबूलाल नि० कटेलिया मन्सूरगंज शहर बहराइच का नाम खारिज करके बैजनाथ साहू पुत्र रघुवीर प्रसाद नि० मो० मन्सूरगंज का नाम जरिये द०ख० बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० बहराइच मु० नं० 868/19.09.07 के द्वारा गाटा सं० 559/0.203, 560/0.46, 561/0.114, 562/0.905 4 किता 1.684 हे० लगान परता खाता से उदयप्रकाश पुत्र मूलचन्द्र नि० वजीरबाग शहर बहराइच के नाम के साथ प्रेम कुमार पुत्र डूंगरमल नि० मो० मन्सूरगंज का नाम जरिये द०ख० बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० पयागपुर मु० नं० 188/11.12.08 के द्वारा गाटा सं० 559/0.203, 560/0.462, 561/0.114, 562/0.905 कुल 4 किता लगान 37.05 से श्यामसुन्दर पुत्र गया प्रसाद, निधानपुर जिला गोण्डा का नाम सम्पूर्ण अंश से खारिज करके श्रीमती पदमा अग्रवाल पत्नी राम गोपाल अग्रवाल व राम गोपाल अग्रवाल पुत्र डोगरमल अग्रवाल नि० छावनी बाजार मन्सूरगंज शहर का नाम जरिये द०ख० बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० सदर बहराइच मु० नं० 233/10.03.11 के द्वारा गाटा सं० 559/0.2030, 561/0.1140, 562/0.9050 कुल 3 किता/1.2220 बंकर सम्पूर्ण भाग लगान परता खाता से श्रीमती सरोज साहू पत्नी मुरारीलाल साहू



नि० गो० धावनी बाजार शहर बहराइच का नाम खारिज करके पवन कुमार दत्तक पुत्र रामदयाल
नि० गो० गुलाम अलीपुरा शहर बहराइच का नाम जरिये दा० खा० बैनामा दर्ज करने के आदेश
अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय
किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-30 :- भूमि खसरा सं० 507 रकबा 0.129 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त
भूमि राजस्व अभिलेखों में कैलाश, बरान्त, बच्चू ननकू पुत्रगण मायाराम, श्रीमती दम्मा पत्नी
मायाराम, गोविन्द पुत्र बेकारु निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर
अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय
किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-51 :- भूमि खसरा सं० 512 रकबा 0.059 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त
भूमि राजस्व अभिलेखों में चौथी पुत्र द्वारिका, नि० सुरौली निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से
श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत
करने पर देय होगा।

खाता सं०-54 :- भूमि खसरा सं० 509 रकबा 0.558 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त
भूमि राजस्व अभिलेखों में छैलू कैलाश पुत्रगण पुत्ती निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी
1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने
पर देय होगा।

खाता सं०-62 :- भूमि खसरा सं० 508 रकबा 0.087 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त
भूमि राजस्व अभिलेखों में जाब्वार खों पुत्र सुबराती खों निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी
1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने
पर देय होगा।

खाता सं०-65 :- भूमि खसरा सं० 505 रकबा 0.086 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त
भूमि राजस्व अभिलेखों में जाकिर खों पुत्र सुबराती खों निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से
श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत
करने पर देय होगा।

खाता सं०-74 :- भूमि खसरा सं० 517 रकबा 0.662 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त
भूमि राजस्व अभिलेखों में तुलसीराम पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1
क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त
भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर
देय होगा।

~

खाता सं०-100 :-भूमि खसरा सं० 516 रकबा 0.727हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पंचू पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमाणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-106 :-भूमि खसरा सं० 506 रकबा 0.130हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बुद्धू पुत्र रामलाल निवासी ग्राम के नाम 1413 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमाणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-120 :-भूमि खसरा सं० 515 रकबा 0.409हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र प्रसाद निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमाणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-123 :-भूमि खसरा सं० 546 रकबा 0.333हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बालक राम पुत्र नारायण निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमाणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-132 :-भूमि खसरा सं० 519 रकबा 0.788हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगीरथ पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमाणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-133 :-भूमि खसरा सं० 518 रकबा 0.046हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगीरथ पंचू पुत्रगण जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमाणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-134 :-भूमि खसरा सं० 501 रकबा 0.644हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भनोरथ, भारत, तीरथराम, किशोरी पुत्रगण लक्ष्मीनारायण, श्रीमती कोयला

के नामों पर 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमाणीय भूमि का अर्जन किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-138 :- भूमि खसरा सं० 563 रकबा 0.527 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुकुन्दलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद नि० मो कानूनगोपुरा के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-150 :- भूमि खसरा सं० 557 रकबा 0.006 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोहनलाल पुत्र सरजू निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-158 :- भूमि खसरा सं० 577 रकबा 0.075 हे०, 576/1.775 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोहनलाल पुत्र धिराऊ निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा संख्या-577 रकबा 0.00405 हे० फलदार वृक्षों से आच्छादित होने के कारण कटौती कर अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-159 :- भूमि खसरा सं० 491 रकबा 0.206 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोहनलाल, राममिलन, पुत्रगण धिराऊ श्रीमती कुटही पुत्री राम समोखन निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई गोंग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा संख्या-491 में रकबा 0.01822 हे० फलदार वृक्षों से आच्छादित होने के कारण कटौती कर अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-160 :- भूमि खसरा सं० 558 रकबा 0.891 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोहनलाल पुत्र सरजू श्रीमती मन्जू सिंह पत्नी श्री राजकुमार सिंह, अंकित डालगिया पुत्र प्रगोद कुमार डालगिया, श्रीमती मन्जू सिंह पत्नी श्री राजकुमार सिंह के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान परगनाधिकारी बहराइच के माद संख्या 38/08.01.05 के द्वारा खाता संख्या 163 की माद सं० 558/0.913 में से 433 का 1/8 हे० व खाता संख्या-210 की माद सं० 547/0.332 में से 0.251 हे० को जारिये द्वारा 143 आकृषिक/व्यवसायिक घोषित करने के

आदेश दर्ज है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-162 :-भूमि खसरा सं० 538 रकबा 1.180हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गिट्टू पुत्र औतार, संतोष कुमार, त्रिवेदी पुत्र पाटनदीन त्रिवेदी निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-165 :-भूमि खसरा सं० 514मि० रकबा 0.376हे०, 520मि०/0.242हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिश्रीलाल पुत्र प्रसाद निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-169 :-भूमि खसरा सं० 503 रकबा 0.179हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश पुत्र ठगई निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-176 :-भूमि खसरा सं० 493 रकबा 0.024हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधेकिशुन पुत्र राम समोखन निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-191 :-भूमि खसरा सं० 502 रकबा 0.643हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामधीरज व रांग कुमार पुत्रगण सकटू मु० लखराजा बेवा सकटू नि० बैरिया खलीलपुर निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-193 :-भूमि खसरा सं० 544 रकबा 0.096हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम प्रसाद पुत्र नरायन निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा

de

संख्या-544 रकबा 0.00202हे0 फलदार वृक्षों से आच्छादित होने के कारण कटौती कर अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं0-197 :-भूमि खसरा सं0 543 रकबा 0.230हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राममिलन पुत्र नारायण निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं0-198 :-भूमि खसरा सं0 523 रकबा 0.088हे0, 527/0.091हे0, 528/1.722हे0 कुल रकबा 1.901हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम मिलन पुत्र धिराऊ निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा संख्या-527 रकबा 0.02834हे0 मे फलदार वृक्षों से आच्छादित होने के कारण कटौती कर अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं0-200 :-भूमि खसरा सं0 520मि0 रकबा 0.156हे0, 522मि0/0.043हे0, 514मि0/0.258हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम विलास, भगौती प्रसाद पुत्रगण बालकराम निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं0-204 :-भूमि खसरा सं0 490 रकबा 0.113हे0, 524/0.029हे0, 525/1.934हे0, 556/0.021हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम समोखन पुत्र ओरी निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार श्रीमान रा0नि0बहराइच जरिए प0क011ख दिनांक 21.01.2011 के अनुसार मृतक राम समोखन के स्थान पर केशवराम व राधेकिशुन पुत्रगण रामसमोखन व श्रीमती कुट्टी पत्नी रामसमोखन सं0भूमिधर का नाम दर्ज करने के आदेश अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा संख्या-490 मे रकबा 0.02024हे0, 525 मे रकबा 0.01619हे0, खसरा संख्या-556 मे रकबा 0.01619हे0 फलदार वृक्षों से आच्छादित होने के कारण कटौती कर अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं0-205 :-भूमि खसरा सं0 537रकबा 0.458हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसमोखन पुत्र ओरी, राजनाथ यादव पुत्र स्व0 बिहारी नि0 सगरा के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार श्रीमान रा0नि0बहराइच जरिए प0क011ख दिनांक 21.01.2011 के अनुसार मृतक राम समोखन के स्थान पर केशवराम व राधेकिशुन पुत्रगण रामसमोखन व श्रीमती कुट्टी

पत्नी रागसगोखन सं० भूमिधर का नाम दर्ज करने के आदेश अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-218 :- भूमि खसरा सं० 554 रकबा 0.713 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लखनलाल पुत्र जगन्नाथ नि० कानूनगोपुरा शहर बहराइच के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना० ल० द्वारा प्रेषित प० क० 11 ख दिनांक 05.09.07 के अनुसार खा० सं० 218, 219 पर मृतक लखनलाल के स्थान पर चन्द्रशेखर, शिवाकान्त, नागेश पुत्रगण लखनलाल व शिवप्यारी देवी बेवा लखनलाल, अंकुर अवयस्क 16 वर्ष पुत्र रजनीकान्त सं० माता स्वयं श्रीमती पूनम स्त्री स्व० रजनीकांत नि० कानूनगो पुरा शहर का नाम जरिये द० ख० बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-222 :- भूमि खसरा सं० 541 क रकबा 0.006 हे० व 566 क / 0.006 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लल्लू पुत्र औतार निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-228 :- भूमि खसरा सं० 548 रकबा 0.302 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामकला पत्नी काशीराम पुत्री निरहू निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-229 :- भूमि खसरा सं० 581 रकबा 0.404 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यालाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-234 :- भूमि खसरा सं० 522 नि० रकबा 0.086 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामावती पत्नी राजनाथ निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया



है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-238 :-भूमि खसरा सं० 578 रकबा 3.005हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शैलेन्द्र सिंह पुत्र सतीश कुमार सिंह निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-242 :-भूमि खसरा सं० 545 रकबा 0.333हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिव प्रसाद पुत्र नरायण निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-254 :-भूमि खसरा सं० 510 रकबा 0.549हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सन्तराम उर्फ लुल्ली पुत्र रघुनन्दन निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-276 :-भूमि खसरा सं० 567 रकबा 0.027हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती बीना देवी पत्नी वीरेन्द्र कुमार नि० मौजा कल्पीपारा, रामसमोखन पुत्र ओरी निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-277 :-भूमि खसरा सं० 568 रकबा 0.037हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती बीनादेवी पत्नी वीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता सं०-287 :-भूमि खसरा सं० 580 रकबा 0.310हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती राम बच्ची पत्नी श्यामलाल निवासी ग्राम के नाम 1407 फसली से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भू-स्वामी द्वारा कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

है। उक्त भूमि का अभिनिर्णय किया जा रहा है। अतः प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा।

रिट याचिका संख्या--16(एल0ए0)/2010 शैलेन्द्र कुमार सिंह बनाम सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2014 को निम्न आदेश पारित किया गया है... It has been submitted that award has been sent for approval to the District Magistrate. Let District Magistrate take decision with regard to approval of award within two weeks and inform this Court about the status. List after two weeks. के अनुपालन में प्रस्तावित अभिनिर्णय तैयार किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या--89(एल0ए0)/2012 केशव राम व अन्य बनाम सरकार में याची श्री केशव राम खसरा सं0-490/0.113हे0, 492/0.024हे0, श्री राधेकेशन खसरा संख्या-490/0.113हे0, 493/0.024हे0, श्रीमती कुट्टी खसरा संख्या-490/0.113हे0, 491/0.206हे0, श्री मोहनलाल खसरा संख्या-491/0.206हे0, 577/0.075हे0, 576/1.775हे0, श्री राममिलन खसरा संख्या-491/0.206हे0, श्री भारत खसरा संख्या-501/0.644हे0, श्री रामधीरज खसरा संख्या-502/0.643हे0, श्री राम कुमार खसरा संख्या-502/0.643हे0, श्री रमेश खसरा संख्या-503/0.179हे0, श्री बुद्धू खसरा संख्या-506/0.130हे0, श्री कैलाश खसरा संख्या-507/0.129हे0, श्री छैलू खसरा संख्या-509/0.072हे0, श्री कैलाश खसरा संख्या-509/0.072हे0, श्री सन्त राम उर्फ लूली खसरा संख्या-510/0.549हे0, श्री पौंचू खसरा संख्या-516/0.727हे0, श्री राम विलास खसरा संख्या-514मि0/0.258हे0, 520मि0/0.156हे0, 522/0.043हे0, श्री मिश्री लाल खसरा संख्या-514मि0/0.187हे0, 520मि0/0.242हे0, श्री तीरथ राम खसरा संख्या-517/0.662हे0, श्री भागीरथ खसरा संख्या-518/0.046हे0, श्री पौंचू खसरा संख्या-518/0.046हे0, श्री राम मिलन खसरा संख्या-523/0.288हे0, 527/0.091हे0, 528/1.722हे0, श्री शिव प्रसाद खसरा संख्या-545/0.333हे0, श्री बालक राम खसरा संख्या-546/0.333हे0, श्री मिट्टू खसरा संख्या-538/1.180हे0, श्री राम मिलन खसरा संख्या-543/0.333हे0, श्री राम प्रसाद खसरा संख्या-544/0.096हे0, श्री अंकित डालमिया खसरा संख्या-547/0.251हे0, 558/0.913हे0, श्री चन्द्र शेखर खसरा संख्या-554/0.713हे0, श्री शिव कान्त खसरा संख्या-554/0.713, श्री नागेश खसरा संख्या-554/0.713हे0, श्री अंकुर खसरा संख्या-554/0.713हे0, श्री मोहन लाल खसरा संख्या-558/0.913हे0, श्री कृष्ण कुमार खसरा संख्या-559/0.203हे0, श्री लल्लू खसरा संख्या-541मि0/0.006हे0, 566मि0/0.006हे0, श्री शैलेन्द्र सिंह खसरा संख्या-578/3.005हे0, श्री श्याम लाल खसरा संख्या-580/0.301हे0, 581/0.404हे0 द्वारा भूमि अधिग्रहण की समस्त कार्यवाही को समाप्त किये जाने की याचना की है। उक्त याचिका मा0 उच्च न्यायालय में विद्यमान है। प्रश्नगत अभिनिर्णय मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन-प्राकलन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई--गौण्डा, 00प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पत्र संख्या-262/बी0-4-1/7/दिनांक 13.04.2015 व पत्र संख्या-319 दिनांक 13.05.2015 द्वारा नियत प्राधिकारी से करार कर उपलब्ध कराया गया है, जिराके अनुसार खसरा संख्या-490, 491, 492, 493, 518, 524, 525, 527, 538, 544, 545, 546,

558, 577, 578 पर वृक्ष है, जिसका मूल्यांकन वन विभाग तथा खसरा संख्या-490, 503, 514, 524, 527, 528, 538, 547, 558, 576, 578, 580 पर बोरिंग पायी गयी है, जिसका मूल्यांकन सिंचाई विभाग तथा खसरा संख्या-490, 491, 525, 527, 544, 577 व 556 में फलदार वृक्ष पाये गये है, जिसका मूल्यांकन उद्यान विभाग से कराकर उपलब्ध कराया गया है, जिसका अंकन भूमि अर्जन प्रपत्र-6 (फार्म-6) पर कर दिया गया है।

भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-24(1)क में दी गयी व्यवस्थानुसार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन प्रारम्भ की गयी भूमि अर्जन के ऐसे किसी मामले में जहाँ उक्त भूमि अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं किया गया है। वहाँ इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित सभी उपबन्ध लागू होंगे। चूँकि उक्त प्रकरण में अभिनिर्णय की कार्यवाही 31.12.2013 तक सम्पन्न नहीं की गयी है। अतः नये भूमि अर्जन अधिनियम के अनुसार प्रतिकर का अवधारण धारा-26 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-26 के अन्तर्गत बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही की गयी जो निम्नवत है :-

1. (क) के अनुसार उस क्षेत्र में जहाँ भूमि स्थित है यथास्थिति विक्रय विलेख या विक्रय करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899(1899का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य यदि कोई हो। उक्त ग्राम का दर रु० 15,00,000.00 प्रति हेक्टेयर अर्थात् 150.00 प्रति वर्गमीटर है।

(ख) के अनुसार उक्त ग्राम में 09 विक्रय पत्र निष्पादित होना पाये गये। स्पष्टीकरण-1, खण्ड ख में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत उस वर्ष के जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन प्रस्तावित है ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान ग्राम में पाये गये विक्रय विलेखों के आधार पर विचार किया जाना है। परिशिष्ट-2 पर अंकित कुल 09 विक्रय पत्रों में से विक्रय पत्र क्रमांक 8 जिसकी दर 231.82 पैसा प्रति वर्गमीटर है व विक्रय पत्र क्रमांक 9 जो रु० 655.57 पैसा प्रति वर्गमीटर है, जो अपेक्षाकृत अधिक दर प्रदर्शित करते हैं, को धारा-26 के स्पष्टीकरण-4 के अनुसार इग्नोर (छोड़ते हुए) शेष 04 विक्रय पत्रों पर विचार किया गया, जो निम्न है :-

क्र०	परिशिष्ट-2 का क्रमांक	दर
1.	6	92.59
2.	1	61.29
3.	2	60.64
4.	4	43.96
		258.08

कुल योग - $258.08 \div 4 = 64.52$ पैसा प्रतिवर्गमीटर औसत दर

du

भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-26 एवं उसके स्पष्टीकरण-4 के अनुसार विक्रय पत्र क्रमांक-8 जिसकी दर 231.82 पैसा प्रति वर्गमीटर व विक्रय पत्र क्रमांक-9 जिसकी दर 655.57 पैसा प्रति वर्गमीटर है, को इग्नोर (कम करते हुए) धारा-26"ख" का मूल्य रू0 64.52 पैसा प्रति वर्गमीटर आता है।

(ग) इसके अन्तर्गत करार का कोई प्रकरण नहीं है।

भूमि अर्जन अधिनियम-30/2013 मे दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मे उपरोक्त अंकित क्रमवार विक्रय पत्रों में विक्रीत अंकित दर की गणना कर औसत दर मु0 64.52 प्रतिवर्गमीटर आती है, जो स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित दर रू0 150.00 प्रति वर्गमीटर से कम है। इसलिए स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित दर रू0 150.00 प्रति वर्गमीटर के आधार पर प्रस्तावित अभिनिर्णय तैयार किया गया है, जिसके अनुसार अर्जित 22.87575 हेक्टेयर भूमि का प्रतिकर रू0 6,86,27,250.00 परिसम्पत्तियों का प्रतिकर रू0 8,13,647.00 जिसपर 100 प्रतिशत सोलेशियम, रू0 6,94,40,897.00 कुल रू0 13,88,81,794.00 होता है। निगमानुसार धारा-28 के दिनांक 16.08.2003 से 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देय होगा।

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्धनगरीय क्षेत्र मे है। भूमि अर्जन अधिनियम मे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के बारे मे व्यवस्था दी गयी है। अर्धनगरीय क्षेत्र के बारे मे कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है। इस कार्यालय के पत्र संख्या-1802 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा प्रेषित प्रस्तावित अभिनिर्णय की गणना नगरीय मानते हुए की गयी थी, किन्तु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना का सरकारी गजट मे प्रकाशन के सम्बन्ध मे जारी शासन के पत्र संख्या-145/एक-13-2015 दिनांक 18.02.2015 एवं परिषदादेश संख्या-322/10 (भू0अ0)14स /14 दिनांक 23.02.2015 के अनुसार ग्रामीण मानते हुए प्रतिकर का दो गुना व उसपर 100 प्रतिशत सोलेशियम के आधार पर गणना की गयी है।

मा0 मण्डलायुक्त, देवी पाटन मण्डल, जनपद गोण्डा के आदेश संख्या-65/आर0ए द्वितीय/भूमि अभिनिर्णय/दिनांक 02.09.2015 द्वारा 150.00 प्रति वर्गमीटर की दर का अनुमोदन प्रदान किया गया है, के अनुसार प्रतिकर का विवरण निम्नवत् है :-

1. भूमि का प्रतिकर	:	68627250.00
2. परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	:	813647.00
3. 100 प्रतिशत सोलेशियम	:	<u>69440897.00</u>
योग	:	<u>138881794.00</u>



4. 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा-28के : नियमानुसार देय होगा।
दिनांक 16.08.03 से अभिनिर्णय की तिथि तक।
5. 9 व 15 प्रतिशत प्रतिकर ब्याज : नियमानुसार देय होगा।
6. 10 प्रतिशत अध्याप्ति व्यय : नियमानुसार देय होगा।
7. पूँजीकृत मूल्य : 25435.00

Qus

(आर०पी० सिंह) ११/१५

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०),
लखनऊ।

आज दिनांक ०१/११/१५ को अभिनिर्णय उपरोक्तानुसार घोषित
किया जाता है

Qus

ADMLA
११/१५

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) अध्यापक
उपक्रम को-ऑपरेटिव विकास परिषद,
३३, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

- भूमि का कब्जा दिलाते हुए योजना का एवार्ड घोषित करने एवं प्रतिकर भुगतान करने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को इस आशय से कि अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) लखनऊ से व्यक्तिगत सम्पर्क कर एवार्ड घोषित कराने एवं प्रतिकर वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। जो काश्तकार प्रतिकर नहीं लेते हैं उनकी धनराशि को आर०डी० खाते में जमा कराने की कार्यवाही की जाय, ताकि परिषद पर अतिरिक्त प्रतिकर/ब्याज का ब्यय भार न पड़े।
 5. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-बलरामपुर, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 355 "अ" सिविल लाइन्स बलरामपुर को उनके पत्र संख्या-974/वाई-18/51 दिनांक 13.10.2011 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि संबंधित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा कराते हुए चालान की एक-एक प्रति अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) लखनऊ व इस कार्यालय को प्रेषित करें साथ ही यह सुनिश्चित करें कि अनाधिकृत निर्माण वाले खसरों का प्रतिकर कदापि न दिया जाय। यदि ऐसा पाया जाता है तो पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
 6. सहायक लेखाधिकारी (भूमि), मुख्यालय लखनऊ



आवास आयुक्त

प्रेषक,

डायरी नं० 3181 भूमि अधिनियम/मा० न्यायालय प्रकरण
दिनांक 26-9-14 अनुस्मारक

सेवा मे,

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०),
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

774 23.9.14
सं० अ०आ०/संघ/दिनांक

आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

सचिव

या आवश्यक कार्यवाही
निश्चित करें।

संख्या 1646/आठ-अ०जि०अ०(भू०अ०)/ आवास/ लखनऊ /दिनांक 19-9-14
विषय : आवास आयुक्त
रिट याचिका संख्या-16 (एल०/ए०)/2010 शैलेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ०प्र०
सरकार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 31.07.2014 के अनुपालन के संबंध
मे।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-1016 दिनांक 02.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध मे अवगत करना है कि प्रश्नगत रिट याचिका मे पारित आदेश के अनुपालन मे जनपद-बहराइच मे बहराइच भिन्ना मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम कल्पीपारा का अभिनिर्णय दो सप्ताह मे घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये है। अर्जन निकाय अर्थात उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने अभिनिर्णीत धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अभिनिर्णय हेतु वॉछित धनराशि मु० 30,74,49,270.00 गणना के अनुसार शीघ्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु अभी तक वॉछित धनराशि परिषद द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2014 के अनुपालन किये जाने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपेक्षित धनराशि मु० 30,74,49,270.00 शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा० उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

H.C (Shoemi)

श्री जिलाधिकारी सिंह
34 34/9/14 (2014)

भवदीय,

(एस०पी० धामन्द)
अपर जिलाधिकारी(भू०अ०),
लखनऊ।

संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय, जनपद-बहराइच को अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(भू०अ०),
लखनऊ।



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
भूमि अर्जन अनुभाग
104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ



पत्र सं- 1035/एल0ए0सी0/एच0क्यू0

27

दिनांक- 27.10.14

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की बहराइच भिन्गा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच में समाविष्ट ग्राम कल्पीपारा जिला बहराइच की 23.065 हेक्टेयर भूमि अर्जन सम्बन्धी धारा-28 एवं धारा-32 की विज्ञप्ति के पश्चात शासन द्वारा धारा-7/17 का शासनादेश/अधिसूचना दिनांक 15.01.2010 को जारी की गयी है। रिट याचिका संख्या-16/एल0ए0/2010 शैलेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदिश दिनांक 31.07.2014 के समादर में उक्त भूमि का अभिनिर्णय घोषित करने एवं भूमि का कब्जा परिषद को हस्तगत कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ के पत्र संख्या-1016/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/आवास/लखनऊ दिनांक 02.09.2014 द्वारा अनुमानित प्रतिकर रू0 371241438.00 में से पूर्व में जमा रू0 63792168.00 समायोजित करते हुए शेष रू0 307449270.00 उपलब्ध कराये जाने की मांग की गयी है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त की संस्तुति एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2014 के समादर में प्राप्त विधिक राय के क्रम में उक्त योजना का अभिनिर्णय घोषित किये जाने हेतु मांगी गयी धनराशि रू0 30,74,49,270.00 (तीस करोड़ चौहत्तर लाख उनचास हजार दो सौ सत्तर मात्र) निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कोषागार लखनऊ में इस प्रतिबन्ध के साथ जमा करने के आदेश दिये जाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बिना परिषद की पूर्व अनुमति के उक्त धनराशि किसी अन्य योजना/परियोजना में वितरित नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का निस्तारण अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कमरा नं0-33 कलेक्ट्रेट लखनऊ के निस्तारण में रहेगा।

**8443 Civil Deposit 117 Work done
for public bodies**

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि रू0 30,74,49,270.00 (तीस करोड़ चौहत्तर लाख उनचास हजार दो सौ सत्तर मात्र) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई गोण्डा को तत्काल हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी, जनपद बहराइच को इस आशय से कि कृपया प्रश्नगत योजना का अभिनिर्णय घोषित कराने तथा परिषद को भूमि का कब्जा हस्तगत कराने का कष्ट करें।
3. अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 33 कलेक्ट्रेट लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1016/आठ-अ0जि0अ0 (भू0अ0)/आवास/लखनऊ दिनांक 02.09.2014 के क्रम में इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत योजना में समाविष्ट भूमि का एवार्ड घोषित करते हुए शीघ्र भूमि का कब्जा परिषद को हस्तगत करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को इस आशय के साथ कि योजना हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करें।
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई गोण्डा, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गोण्डा को इस आशय के साथ कि रू० 30,74,49,270.00 (तीस करोड चौहत्तर लाख उनचास हजार दो सौ सत्तर मात्र) उपर्युक्त लेखा शीर्षक में जमा कराकर चालान की एक प्रति मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिये जाते है कि अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 33 कलेक्ट्रेट लखनऊ से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि का कब्जा एवं एवार्ड की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्गत धनराशि उक्त योजना के काश्तकारों को ही वितरित कराया जाय तथा प्रत्येक माह की होने वाली बैठक में समीक्षा कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाय एवं योजना का निर्माण/विकास कार्य युद्ध स्तर पर आरम्भ किया जाय।
सहायक अभियन्ता (भूमि)/लेखाकार, भूमि अर्जन अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ।

— 5 —
आवास आयुक्त
9C


IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-गोण्डा
भवन सं०-1813 से 1816, भरतपुरी योजना, गोण्डा
कार्यालय - 05262-223169

दिनांक 3-11-14 भूमि अर्जन



पत्र सं०-

सेवा में,

दिनांक-

विषय: आवास आयुक्त महोदय,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की बहराइच भिनगा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान
योजना बहराइच में समाविष्ट ग्राम कल्पीपारा जिला बहराइच की अनुमानित प्रतिकर रू०
307449270.00 जमा करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय आदेश संख्या-1035/एल०ए०सी०/एच०क्यू०
दिनांक 27.10.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की
बहराइच भिनगा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच में समाविष्ट ग्राम कल्पीपारा जिला
बहराइच की अनुमानित प्रतिकर रू० 307449270.00 कोषागार लखनऊ में लेखा शीर्षक "8443 Civil
Deposit 117 Work done for public bodies" में जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। इस सम्बन्ध में
सादर अवगत कराना है कि उक्त सन्दर्भित योजना का अनुमानित प्रतिकर जमा करने हेतु अपर
जिलाधिकारी (भू०अ०) कमरा नं०-33, कलेक्ट्रेट लखनऊ के कार्यालय से सम्पर्क किया गया। कार्यालय द्वारा
अवगत कराया गया कि उक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत धनराशि कोषागार लखनऊ के स्थान पर कोषागार
बहराइच में जमा किया जाना है क्योंकि प्रतिकर की धनराशि बहराइच योजना का है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेश के क्रम में यथा संशोधित आदेश
पारित करने की कृपा करें। उक्त अनुमानित प्रतिकर की धनराशि कोषागार लखनऊ के स्थान पर कोषागार
बहराइच में जमा किया जाये।

सादर सहित।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक:

697 / B-4

24

दिनांक: 1-11-2014

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, जनपद बहराइच।
3. अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 33 कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
5. उप आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

श्री बिलोकी सिंह

3/11/14

Joshi.dh (d) Letter.doc

उप आवास आयुक्त (अभि)

3/11/14

15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
भूमि अर्जन अनुभाग
104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700




पत्र सं०- 1182 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0

दिनांक- 17-11-14

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की बहराइच भिन्गा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच की 23.065 हेक्टेयर भूमि का प्रतिकर भुगतान किये जाने सम्बन्धी कार्यालय आदेश संख्या-1035/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/दिनांक 27.10.2014 द्वारा अभिनिर्णय घोषित किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ द्वारा माँगी गयी धनराशि रू0 307449270.00 जिसे कोषागार लखनऊ में जमा किये जाने के आदेश दिये गये थे। अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ के पत्र संख्या-1723/आठ-अ0जि0अ0 (भू0अ0)/आवास/लखनऊ दिनांक 07.11.2014 एवं अधिशासी अभियन्ता, पत्र संख्या-697/बी0वाई-1/24 दिनांक 01.11.2014 के द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि बहराइच कोषागार में जमा कराने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 27.10.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए कोषागार लखनऊ में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 30,74,49,270.00 के स्थान पर कोषागार बहराइच में जमा कराये जाने के एतद्वारा आदेश दिये जाते हैं।


शहाबुद्दीन मोहम्मद
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, जनपद बहराइच।
3. अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 33 कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई गोण्डा, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद गोण्डा।
6. सहायक अभियन्ता (भूमि)/लेखाकार, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ।


आवास आयुक्त

विवरण:- रोकड़ (विवरण सहित)

नोट/सिकके	धनराशि (रुपयों में)
1000 X	
500 X	
100 X	
50 X	
20 X	
10 X	
5 X	
2 X	
1 X	
चेक (पूर्ण विवरण के साथ) Cheque No: 045404 योग :- 30,74,49,270=00 Dr 18-1-2014	
टिप्पणी :- Union Bank of India Comra	

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड 4 या लोक लेखा खण्ड 2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड 2 (लोक लेखा) तथा खण्ड 4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिए विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा शीर्षक को सत्यापित कराना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रु. पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

वि. लो. वि. वि.

बहराइच-भिन्गा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराइच

1-	<u>धारा-28 के अनुसार</u>		
	ग्राम समाज	= 1.212 हेक्टेयर	(2.995 एकड़)
	कृषक भूमि	=23.033 हेक्टेयर	(56.914 एकड़)
	कब्रिस्तान	= 0.300 हेक्टेयर	(0.741 एकड़)
	<u>कुल रकबा</u>	<u>=24.545 हेक्टेयर</u>	<u>(60.65 एकड़)</u>
2-	<u>धारा-32 के अनुसार</u>		
	ग्राम समाज	= 1.212 हेक्टेयर	(2.995 एकड़)
	कृषक भूमि	=22.981 हेक्टेयर	(56.786 एकड़)
	<u>कुल रकबा</u>	<u>=24.193 हेक्टेयर</u>	<u>(59.78 एकड़)</u>
3-	<u>कब्जा प्राप्त क्षेत्रफल</u>		
	क-एस0एल0ओ0 द्वारा कृषक भूमि का कब्जा प्राप्त=22.743 हेक्टेयर		(56.198 एकड़)
	ख-धारा 38 के अन्तर्गत अधिग्रहीत	=0.902 हेक्टेयर	(2.229 एकड़)
	<u>कुल योग-</u>	<u>=23.645 हेक्टेयर</u>	<u>(58.427 एकड़)</u>
4-	<u>धारा-38 के अनुसार</u>		
	ग्राम समाज की भूमि का अधिग्रहण- आवास आयुक्त(म0) के आदेश सं0- 1584 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0, दिनांक-17.02.2020 के अन्तर्गत उक्त योजना में समाहित की गयी ग्राम समाज की भूमि	= 0.902 हेक्टेयर	
5-	<u>विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि</u>		
	क- दिनांक- 02.01.2012	= ₹0 6,37,92,168.00	
	ख- दिनांक- 18.11.2014	= ₹0 30,74,49,270.00	
	<u>कुल उपलब्ध करायी धनराशि</u>	<u>= ₹0 37,12,41,438.00</u>	
6-	<u>विवरण की गयी धनराशि</u>		
	अब तक वितरित की गयी धनराशि	= ₹0 18,67,39,549.00	
	(अपर जिलाधिकारी(भू0अ0),लखनऊ के पत्रांक: 117 / आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0) / आवास / लखनऊ दिनांक 27.07.2020 के अनुसार)		
7-	<u>प्रत्याशित व्यय धनराशि</u>		
	(30,74,49,270.00-18,67,39,549.00-6,32,60,451.00)=	₹0 5,74,49,270.00	
8-	<u>वास्तविक धनराशि जो कि एस0एल0ओ0 से प्राप्त करनी है</u>		
	अपर जिलाधिकारी की सूचना के आधार पर		
	(क्रमांक-07 के अनुसार)	= ₹0 6,32,60,451.00	
	(क्रमांक-05ब के अनुसार)	= ₹0 6,37,92,168.00	
	<u>योग:</u>	<u>₹0 12,70,52,619.00</u>	


AE